न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामलाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –09/2025

उनवान

वादी

धनाराम पुत्र टीकूराम उम्र 77 वर्ष
जाति– जाट, निवासी–देवराजनगर,
खड़ीन तहसील–रामसर,
जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. अचलाराम पुत्र बांका उम्र 60 वर्ष
   जाति– जाट, निवासी– जायड़ू
   तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
2. जोगाराम पुत्र बांका उम्र 50 वर्ष
3. पेमाराम पुत्र बांका उम्र 57 वर्ष
4. हेराजराम पुत्र बांका उम्र 62 वर्ष
   जाति जाट, निवासी– देवराजनगर, खड़ीन
   तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
5. खेराजराम पुत्र ईशराराम के कायम मुकाम–
   5.1 हनुमानराम पुत्र खेराजराम उम्र 35 वर्ष
   5.2 गजाराम पुत्र खेराजराम उम्र 22 वर्ष
   5.3 नाथाराम पुत्र खेराजराम उम्र 32
   5.4 गिरधारीराम पुत्र खेराजराम उम्र 20
   5.5 नेनूदेवी पत्नी खेराजराम उम्र 60
   जाति–जाट, निवासी–बसरा
   तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
6. छुगाराम पुत्र ईशराराम उम्र 65 वर्ष
7. तुलछाराम पुत्र ईशराराम उम्र 70 वर्ष
8. तिलोकाराम पुत्र ईशराराम उम्र 62 वर्ष
   जाति–जाट, निवासी–देवराजनगर,
   खड़ीन तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
9. विशनाराम पुत्र ईशराराम उम्र 60 वर्ष
   जाति–जाट, निवासी–सूरा नरपतान
   तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर
10. मानाराम पुत्र ईशराराम उम्र 60 वर्ष
11. मूलाराम पुत्र ईशराराम उम्र 55 वर्ष
    जाति–जाट, निवासी–देवराजनगर, [illegible]
    तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
12. बालीदेवी पत्नी [illegible] उम्र 68 वर्ष
13. बगताराम पुत्र मगनाराम उम्र 42 वर्ष
14. भगाराम पुत्र मगनाराम उम्र 45 वर्ष
    जाति–जाट, निवासी–केरावा
    तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर
15. जोराराम पुत्र बागाराम उम्र 70 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

जाति–जाट, निवासी–नरपतान
तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर

16. रामाराम पुत्र बागाराम उम्र 67 वर्ष
17. मेहराराम पुत्र बागाराम उम्र 63 वर्ष
18. घमण्डाराम पुत्र बागाराम उम्र 58 वर्ष
जाति–जाट, निवासी–देवराजनगर, खड़ीन
तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
19. राज. राज्य जरिये तहसीलदार एंव पदेन
उप–पंजीयक रामसर

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते विभाजन एवं पाने स्थायी निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–16.02.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर क्रमशः 662, 734/642 रकबा क्रमशः 0.4856, 109.0221 हैक्टेयर, मौजा देवराजनगर, पटवार मण्डल खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में आये हुए हैं। जिसमें वादी का खातेदारी हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/20 – 1/20 आया हुआ हैं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का खातेदारी हिस्सा 1/20 – 1/20 दर्ज हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की माता कसुम्बी पत्नी बांका का देहांत हो गया हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में फोतगी का नामांतरकरण दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक खातेदारी हिस्सा 1/20 – 1/20 दर्ज हैं जबकि खातेदार कसुम्बी पत्नी बांका का राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हिस्सा 1/20 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 में समाहित हो जाने से उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/16 – 1/16 हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 11 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/32 – 1/32 दर्ज हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 खेराजराम पुत्र ईशराराम का देहांत हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज उनका खातेदारी हिस्सा 1/32 में उनके कायम मुकाम प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/160 – 1/160, प्रतिवादी संख्या 12 से 14 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/96 – 1/96, प्रतिवादी संख्या 15 से 18 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/20 – 1/20 आया हुआ हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 15 से 18 का खातेदारी हिस्सा 1/20 – 1/20 दर्ज हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 15 से 18 की माता चम्पादेवी पत्नी बागाराम का देहांत हो गया हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में फोतगी का नामांतरकरण दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 15 से 18 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/20 – 1/20 दर्ज हैं जबकि खातेदार चम्पादेवी पत्नी बागाराम का राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/20 प्रतिवादी संख्या 15 से 18 में समाहित हो जाने से उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 15 से 18 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/16 – 1/16 आया हुआ हैं। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की सामलाति संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। वादग्रस्त आराजी वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां हैं जिसमें प्रत्येक खातेदारी की पृथक पृथक रहवासी ढाणियां, पानी के टांके, चारबाड़े इत्यादि बने हुए हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में विभाजन किया हुआ नहीं होने एवं वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 18 द्वारा वादी के कब्जे काश्त की सुधारी हुई उपजाऊ भूमि पर दखंलदाजी, हस्तक्षेप करने एवं बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी का अन्य बेचान करने पर आमादा होने से मौके पर भारी विवाद होने की आशंका हैं इसलिए वादी अपने खातेदारी हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण से विभाजन करवाने हेतु यह वाद पत्र. इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2025 को पेश किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तामिली की गई बाद तामिली प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की ओर से वकील रविन्द्र कुमार उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा वकील प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया लेकिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 स्वंय एवं उनके अधिवक्तागण उपस्थित होकर वाद पत्र को जरिये राजीनामा एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार वाद स्वीकार कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। राजीनामें अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की संयुक्त खातेदारी की भूमि वर्तमान में मौजा देवराजनगर, पटवार हल्का खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 662 रकबा 0.4856 हैक्टेयर व मौजा देवराजनगर से नवसर्जित मौजा कुम्भोंणी सारणों की ढाणी, पटवार हल्का खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खेत खसरा नम्बर क्रमशः 734/642, 640, 641 रकबा क्रमशः 109.0221, 0.0486, 0.1619 हैक्टेयर आये हुए हैं जिसमें उभयपक्षकारान राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार विभाजन करवाना चाहते हैं इसलिए उक्त राजीनामा एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के खातेदारी हिस्से की भूमि को विभाजन कर पृथक किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा अपनी अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार उभयपक्षकारान के राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारी हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार वाद स्वीकार किये जाने में इस न्यायालय को कोई आपति जाहिर नहीं होती हैं।

लिहाजा वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा देवराजनगर, पटवार हल्का खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 662 रकबा 0.4856 हैक्टेयर व मौजा कुम्भोंणी सारणों की ढाणी, पटवार हल्का

सहायक कलेक्टर
(SDO) रामसर

खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खेत खसरा नम्बर क्रमशः 734/642, 640, 641 रकबा क्रमशः 109.0221, 0.0486, 0.1619 हैक्टेयर भूमि का राजीनामें के संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न राजीनामा एवं परिशिष्ट "अ" इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार पृथक से डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
रामसर

क्रमांक : रीडर/2026/67-69 दिनांक : 18/2/2026

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. वादी धनाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी देवराजनगर, खड़ीन तहसील रामसर।
3. प्रतिवादीगण अचलाराम पुत्र बांका वगेराह।

सहायक कलक्टर
रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cilil Procedure Code, Appendix "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर बमुकाम रामसर

बइजलास श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या –09 / 2025

उनवान

वादी

धनाराम पुत्र टीकूराम उम्र 77 वर्ष
जाति– जाट, निवासी–देवराजनगर,
खड़ीन तहसील–रामसर,
जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. अचलाराम पुत्र बांका उम्र 60 वर्ष जाति–जाट, निवासी–जायडू तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
2. जोगाराम पुत्र बांका उम्र 50 वर्ष
3. पेमाराम पुत्र बांका उम्र 57 वर्ष
4. हेराजराम पुत्र बांका उम्र 62 वर्ष जाति जाट, निवासी–देवराजनगर, खड़ीन तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर
5. खेराजराम पुत्र ईशराराम के कायम मुकाम–
   - 5.1 हनुमानराम पुत्र खेराजराम उम्र 35 वर्ष
   - 5.2 गजाराम पुत्र खेराजराम उम्र 22 वर्ष
   - 5.3 नाथाराम पुत्र खेराजराम उम्र 32
   - 5.4 गिरधारीराम पुत्र खेराजराम उम्र 20
   - 5.5 नेनूदेवी पत्नी खेराजराम उम्र 60 जाति–जाट, निवासी–बसरा तहसील–रामसर, ज़िला–बाड़मेर
6. छुगाराम पुत्र ईशराराम उम्र [illegible] वर्ष
7. तुलछाराम पुत्र ईशराराम 70 वर्ष
8. तिलोकाराम पुत्र ईशराराम उम्र 62 वर्ष जाति–जाट,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

निवासी–देवराजनगर,
खड़ीन तहसील–रामसर,
जिला–बाड़मेर

9. विशनाराम पुत्र ईशराराम उम्र 60 वर्ष
जाति–जाट, निवासी–सूरा
नरपतान तहसील–बाड़मेर,
जिला–बाड़मेर

10. मानाराम पुत्र ईशराराम उम्र 60 वर्ष

11. मूलाराम पुत्र ईशराराम उम्र 55 वर्ष
जाति–जाट,
निवासी–देवराजनगर, खड़ीन
तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर

12. बालीदेवी पत्नी मगनाराम उम्र 68 वर्ष

13. बगताराम पुत्र मगनाराम उम्र 42 वर्ष

14. भगाराम पुत्र मगनाराम उम्र 45 वर्ष
जाति–जाट, निवासी–केरावा
तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर

15. जोराराम पुत्र बागाराम उम्र 70 वर्ष
जाति–जाट, निवासी–नरपतान
तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर

16. रामाराम पुत्र बागाराम उम्र 67 वर्ष

17. मेहराराम पुत्र बागाराम उम्र 63 वर्ष

18. [illegible]
58 वर्ष
जाति–जाट,
निवासी–देवराजनगर, खड़ीन
तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर

19. राज. राज्य जरिये तहसीलदार
एंव पदेन उप–पंजीयक रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
रामसर (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते विभाजन एवं पाने स्थायी निषेधाज्ञा।

दिनांक :– **16.02.2026**

यह मुकदमात आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी वादी श्री कंवराज बैनिवाल वकील व प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार वकील मिनजानिब मुददाई मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– कि वाद पत्र राजीनामें एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा देवराजनगर, पटवार हल्का खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 662 रकबा 0.4856 हैक्टेयर व मौजा कुम्भोंणी सारणों की ढाणी, पटवार हल्का खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खेत खसरा नम्बर क्रमशः 734/642, 640, 641 रकबा क्रमशः 109.0221, 0.0486, 0.1619 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार विभाजन किया जाता हैं। तहसीलदार रामसर को राजीनामें के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

बीज......... मुबलीग............. बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.......फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.02.2026** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
रामसर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनाम		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबुत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय		
मुतफरिक			हुक्मनामा		
मीजान			मुतफरिक		
			मीजाना		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर